

मरणाधिक बनाम मोहन
 हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
 138/2015
 दावा

12.03.2022 पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील वादी ने पूर्व में दिनांक 07.03.2022 को एक प्रार्थना पत्र बाबत उक्त वाद पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने तथा प्रकरण को इसी स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से विद्वा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया था। वकील वादी के निवेदन पर वाद पत्र को आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाकर वाद पत्र को लोक अदालत की भावना से विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(दिलीप सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी
 श्रीमाधोपुर (सीकर)

12/3/2022 राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण प्राप्त हुआ, फाकार अनुपरिम व उप/अनु/प्रकरण नियमित न्यायालय में आगामी दिनांक 30/3/2022 को प्रस्तुत हो।

अध्यक्ष
 लोक अदालत बेंच
 तारुण्य विधिक सेवा समिति
 श्रीमाधोपुर (सीकर)

30.03.2022 पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी ने पूर्व में दिनांक 07.03.2022 को प्रार्थना पत्र विद्वा पेश कर वादपत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहकर प्रकरण को इसी स्तर पर विद्वा किये जाने का निवेदन किया गया था। वकील वादी के निवेदन पर वादपत्र को विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(दिलीप सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी
 श्रीमाधोपुर (सीकर)

